

शपथ-पत्र

(एमबीबीएस पाठ्यक्रम के उपरान्त मूल दस्तावेज प्राप्त करने तथा बाण्ड राशि रु. /-
(रुपये लाख मात्र) की बैंक गारण्टी जमा करने से छूट विषयक)

मैं पुत्र/पुत्री निवासी ...
..... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ
कि

1. यह कि मैं एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में वर्ष में प्रवेश हुआ था।
2. यह कि मैं एमबीबीएस पाठ्यक्रम के उपरान्त 01 वर्ष या 02 वर्ष की ग्रामीण सेवा हेतु मध्यप्रदेश शासन अन्तर्गत बाण्डेड हूँ।
3. यह कि मेरे द्वारा नीट पीजी वर्ष में Percentile AIR हासिल की है।
4. यह कि मुझे कोर्स कॉलेज में नीट पीजी वर्ष काउन्सिलिंग के माध्यम से पीजी पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु आवंटन हुआ है।
5. यह कि मेरे द्वारा उक्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त एमबीबीएस पाठ्यक्रम के 01 वर्ष या 02 वर्ष की ग्रामीण बाण्ड सेवा अवधि नियमानुसार पूर्ण की जावेगी।
6. यह कि चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में जमा मेरे मूल दस्तावेज प्राप्त करने हेतु तथा बाण्ड राशि रु. (रुपये लाख मात्र) की बैंक गारण्टी जमा करने की छूट प्राप्त करने के लिये शपथ-पत्र निष्पादित कर रहा/रही हूँ।
7. यह कि उक्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त एमबीबीएस पाठ्यक्रम के 01 वर्ष या 02 वर्ष की ग्रामीण सेवा बाण्ड अवधि पूर्ण नहीं की जाती है, तो मेरे अभिभावक द्वारा ग्रामीण सेवा की बाण्ड शर्त अनुसार उल्लेखित राशि रु. (रुपये लाख मात्र) महाविद्यालय में जमा की जावेगी।
8. यह कि मेरे द्वारा नीट पीजी वर्ष की काउन्सिलिंग में उस महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम जिसमें स्थायी रूप से प्रवेश लिया गया है की जानकारी मेरे द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा को 07 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से दी जावेगी।
9. यह कि कण्डिका क्र. 05, 07 एवं 08 के उल्लंघन की दशा में मेरा मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
10. यह कि मूल दस्तावेज प्राप्त करने के उपरान्त मेरे द्वारा पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया जाता है या मेरे द्वारा पीजी पाठ्यक्रम से त्याग पत्र दिया जाता है, तो मूल दस्तावेज महाविद्यालय में जमा करते हुये एमबीबीएस पाठ्यक्रम की ग्रामीण सेवा बन्धपत्र की शर्त का पालन किया जावेगा।

दिनांक :

गवाह

हस्ताक्षर

नाम

पता

मोबा.

आधार नं.

शपथ-पत्र

(एमबीबीएस पाठ्यक्रम के उपरान्त मूल दस्तावेज प्राप्त करने तथा बाण्ड राशि रु. /-
(रूपये लाख मात्र) की बैंक गारण्टी जमा करने से छूट विषयक)

मैं निवासी
..... आधार संख्या शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि

1. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में वर्ष में प्रवेश हुआ था।
2. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री एमबीबीएस पाठ्यक्रम के उपरान्त 01 वर्ष या 02 वर्ष की ग्रामीण सेवा हेतु मध्यप्रदेश शासन अन्तर्गत बाण्डेड है।
3. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री ने नीट पीजी वर्ष में Percentile AIR हासिल की है।
4. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री को कोर्स कॉलेज में नीट पीजी वर्ष काउन्सिलिंग के माध्यम से पीजी पाठ्यक्रम अध्ययन हेतु आवंटन हुआ है।
5. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा उक्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त एमबीबीएस पाठ्यक्रम के 01 वर्ष या 02 वर्ष की ग्रामीण बाण्ड सेवा अवधि नियमानुसार पूर्ण की जावेगी।
6. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री के चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में जमा मूल दस्तावेज प्राप्त करने हेतु तथा बाण्ड राशि रु. (रूपये लाख मात्र) की बैंक गारण्टी जमा करने की छूट प्राप्त करने के लिये शपथ-पत्र निष्पादित कर रहा/रही हूं।
7. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा उक्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त एमबीबीएस पाठ्यक्रम के 01 वर्ष या 02 वर्ष की ग्रामीण सेवा बाण्ड अवधि पूर्ण नहीं की जाती है, तो मेरे द्वारा ग्रामीण सेवा की बाण्ड शर्त अनुसार उल्लेखित राशि रु. (रूपये लाख मात्र) महाविद्यालय में जमा की जावेगी।
8. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री द्वारा नीट पीजी वर्ष काउन्सिलिंग में उस महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम जिसमें स्थायी रूप से प्रवेश लिया गया है की, जानकारी मेरे द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा को 07 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से दी जावेगी।
9. यह कि कण्डिका क्र. 05, 07 एवं 08 के उल्लंघन की दशा में मेरे पुत्र/पुत्री का मेडिकल रजिस्ट्रेशन रद्द किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।
10. यह कि मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा मूल दस्तावेज प्राप्त करने के उपरान्त पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया जाता है या पीजी पाठ्यक्रम से त्याग पत्र दिया जाता है, तो मूल दस्तावेज महाविद्यालय में जमा करते हुये एमबीबीएस पाठ्यक्रम की ग्रामीण सेवा बन्धपत्र की शर्त का पालन किया जावेगा।

दिनांक :

गवाह

हस्ताक्षर

नाम

पता

मोबा.

आधार नं.